भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *112

(जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दिया जाना है)

छोटे किसानों को बैंक ऋण

112. श्री राम टहल चौधरीः
श्री लक्ष्मी नारायण यादवः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकों से ऋण प्राप्त करने संबंधी जटिल प्रक्रिया/मानदंड के कारण छोटे किसान बैंकों से ऋण नहीं प्राप्त कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रक्रियाओं/मानदंडों को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) उक्त प्रयासों का परिणाम क्या रहा है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'छोटे किसानों को बैंक ऋण' के संबंध में श्री राम टहल चौधरी और श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा पूछे गए 09 फरवरी, 2018 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *112 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सूचित किए गए अनुसार गत दो वर्षों के दौरान किसानों को संवितरित ऋण की कुल राशि तथा इनमें छोटे तथा सीमांत किसानों (एसएफ/एमएफ) के भाग का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:

वर्ष	कुल संवितरित राशि (करोड़ रुपए)	कुल संवितरित राशि में एसएफ/एमएफ के भाग की प्रतिशतता
2015-16	915509.92	41.51
2016-17	1065755.67	50.14

एसएफ/एमएफ सहित किसानों को बाधारहित फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)/नाबार्ड ने अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित पहल की है:-

- किसानों को 7 प्रतिशत की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है।
- आरबीआई के निदेशों के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) जो भी अधिक हो, का 18% प्रदान करना आवश्यक है। भूमिहीन कृषि मजदूरों, काश्तकारों किसानों, मौखिक पट्टेदारों और बटाईदार किसानों सहित छोटे एवं सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए 8% का एक उप-लक्ष्य भी विनिर्धारित किया गया है। इसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में उनके कुल बकाया अग्रिमों का 18% कृषि क्षेत्र के लिए तथा छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए 8% का एक उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत, सीमांत किसानों को भूमि धारिता के आधार पर और कटाई के बाद भंडारण (वेयर हाउस) से संबंधित ऋण आवश्यकताओं सहित उगाई गई फसलों और कृषि कार्य संबंधी अन्य व्यय, उपभोग आवश्यकताओं, इत्यादि के साथ-साथ लघु अवधि ऋण निवेशों के लिए भूमि के मूल्य पर ध्यान दिए बिना 10,000 रूपए से 50,000 रूपए तक की लचीली ऋण सीमा (फ्लेक्सी केसीसी के रूप में) उपलब्ध कराई गई है।
- आरबीआई ने बैंकों से 1,00,000/- रूपए तक के कृषि ऋणों को मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं से मुक्त रखने को कहा है। छोटे तथा सीमांत किसानों, बंटाईदार किसानों तथा ऐसे किसानों को 50,000/- रुपए तक के छोटे ऋण के लिए बेबाकी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता से छूट दी गई है और इसके स्थान पर उधारकर्ता से केवल स्व-घोषणा की आवश्यकता होती है।
- छोटे, सीमांत, काश्तकार किसान, मौखिक पट्टेदार आदि को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने के लिए बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को बढ़ावा दिया गया है।

*****